	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 10, शुक्रवार, शाके 1932– अप्रैल 30, 2010 Vaisakha 10, Friday, Saka 1932 - April 30, 2010	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

(सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 2, 2010

जी.एस.आर. 14 :– जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम सं. 18) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 है।

(2) ये राज–पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा –

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ''अधिनियम'' से जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम सं. 18) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''बोर्ड'' से अधिनियम की धारा 22 के अधीन स्थापित राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''अध्यक्ष'' से राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) ''समिति'' से अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) के अधीन स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित जैव विविधता प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है;

(च) ''फीस'' से इन नियमों में विहित कोई फीस अभिप्रेत है;

(छ) ''प्ररूप'' से इन नियमों में संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(ज) ''सदस्य'' से राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें उसका अध्यक्ष सम्मिलित है;

(झ) ''अनुसूची'' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) ''सदस्य सचिव'' से बोर्ड का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

(ट) ''धारा'' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ठ) ''राज्य सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है; और

(ढ) ''वर्ष'' से अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) अधिनियम में परिभाषित किये गये और इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति –

(1) बोर्ड का अध्यक्ष या तो सरकारी सेवा से प्रतिनियुक्ति पर या सेवा के बाहर से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष, संरक्षण और जैव विविधता के सतत् उपयोग और फायदों का साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान और कम से कम 30 वर्षों का अनुभव रखने वाला ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा। यदि नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर है तो नियुक्त व्यक्ति शासन सचिव से अनिम्न रैंक का नहीं होगा।

(2) नियुक्त, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय सर्च समिति की सिफारिश पर की जायेगी। सर्च समिति के दो अन्य सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान होंगे।

4. अध्यक्ष की पदावधि –

(1) बोर्ड का अध्यक्ष तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र

होगा : परन्तु कोई अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु से अधिक पद धारित नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष, राज्य सरकार को लिखित में कम से कम एक मास का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेगा।

5. अध्यक्ष का वेतन और भत्ते –

(1) अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, गृह और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जायें। यदि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन और भत्ते ऐसे व्यक्ति पर लागू सरकार के आदेशों के अनुसार नियत किये जायेंगे।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के पद के साथ कोई पेंशन नहीं दी जायेगी।

6. गैर–सरकारी सदस्यों का नामनिर्देशन और पदावधि और भत्ते –

(1) पांच गैर सरकारी सदस्य जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के सतत् उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उद्‌भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।

(2) बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्य नामनिर्देशन की तारीख से एक समय में तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे।

(3) गैर–सरकारी सदस्य बैठक भत्ता, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्तों, जो बोर्ड की बैठक (बैठकों) में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार विहित करे, के हकदार होंगे।

7. गैर–सरकारी सदस्य की रिक्ति का भरा जाना –

(1) बोर्ड का कोई गैर–सरकारी सदस्य किसी भी समय अपने पद से राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा और बोर्ड में उस सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा।

(2) बोर्ड में कोई आकस्मिक रिक्ति नये नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की केवल शेष कालावधि के लिए ही पद धारित करेगा जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया था।

8. बोर्ड के सदस्यों का हटाया जाना – बोर्ड का कोई भी सदस्य अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त प्रमुख शासन सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् और उचित जांच के बिना और उस सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अपने पद से नहीं हटाया जायेगा।

9. **पदेन सदस्यों की नियुक्ति –** चार पदेन सदस्य राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों/संगठनों से, जब तक वे अपना सम्बन्धित पद धारित करें, नियुक्त किये जायेंगे :–

1. निदेशक, कृषि, जयपुर
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, उदयपुर या आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास
4. निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर ।

10. **बोर्ड का मुख्य कार्यालय –** बोर्ड का मुख्य कार्यालय जयपुर में होगा ।

11. **बोर्ड का सदस्य सचिव –**

(1) बोर्ड का एक सदस्य सचिव होगा जो मुख्य वन संरक्षक से अनिम्न रैंक का भारतीय वन सेवा का कोई अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

(2) सदस्य सचिव बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन, बैठक बुलाने, कार्यवाहियों के अभिलेखों के रखरखाव, इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) सदस्य सचिव, बोर्ड के दिन–प्रतिदिन के प्रशासन, निधियों के प्रबन्धन और बोर्ड के अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अधीन कार्यक्रमों के विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त गोपनीय कागज–पत्रों का प्रभारी होगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) सदस्य सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे समय–समय पर समनुदेशित किये जायें ।

12. **बोर्ड की बैठकें –**

(1) बोर्ड सामान्यत: तीन मास पश्चात्, वर्ष में कम से कम चार बार बोर्ड के मुख्यालय पर, या ऐसे अन्य स्थान पर जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये, बैठक करेगा ।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के लिखित निवेदन पर या राज्य सरकार के निदेश पर बोर्ड की विशेष बैठक बुलायेगा ।

(3) सदस्यों को प्रयोजन, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए, जहां ऐसी बैठक आयोजित की जानी है, साधारण बैठक की दशा में पन्द्रह दिन और विशेष बैठक की दशा में तीन दिन का नोटिस दिया जायेगा ।

(4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से उनमें से निर्वाचित किये गये पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) बोर्ड का विनिश्चय, यदि आवश्यक हो तो उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत और मतदान द्वारा लिया जायेगा और यदि मतों की संख्या समान हो तो अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य का मत निर्णायक होगा।

(6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

(7) बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति पांच होगी।

(8) कोई सदस्य किसी मामले को जिसके लिए उसने दस दिन का नोटिस नहीं दिया है, बैठक में विचार के लिए रखने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न करे।

(9) सदस्य को बैठक का नोटिस संदेशवाहक द्वारा उसे परिदत्त करके या उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारबार के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या अन्य ऐसी रीति से, जो मामले की परिस्थितियों में बोर्ड का सदस्य सचिव ठीक समझे, दिया जा सकेगा।

(10) उपर्युक्त के अतिरिक्त, बोर्ड उसके कामकाज के संव्यवहार के लिए ऐसी अन्य प्रक्रिया अपना सकेगा जो वह उपयुक्त और समुचित समझे।

13. परिचालन द्वारा अत्यावश्यक मामले का निस्तारण –

(1) बोर्ड, यदि अध्यक्ष द्वारा ऐसी वांछा की जाये तो कागज–पत्रों के परिचालन द्वारा अत्यावश्यक मामलों का निस्तारण कर सकेगा। किये गये समस्त संकल्प और विनिश्चय बोर्ड की अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए रखे जायेंगे।

14. बोर्ड द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति और उनकी हकदारियां –

(1) बोर्ड, पूर्णत: सदस्यों या पूर्णत: अन्य व्यक्तियों या भागत: सदस्यों और भागत: अन्य व्यक्तियों को मिलाकर, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो वह ठीक समझे, किसी भी संख्या में समितियां गठित कर सकेगा।

(2) बोर्ड के सदस्यों से भिन्न विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को बैठकों में सम्मिलित होने के लिए ऐसी फीस और भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(3) बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह अभिप्राप्त करना इसके किन्हीं कृत्यों को करने और जिसका इसकी किन्हीं बैठकों के विचार विमर्श में भाग लेना उपयोगी समझा जाये। बोर्ड से सम्बद्ध ऐसा व्यक्ति ऐसे भत्ते पाने का हकदार होगा जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जावे।

15. बोर्ड के सामान्य कृत्य : विशिष्टत: और अन्य उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:–

(i) अधिनियम की धारा 23 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना।

(ii) जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत् उपयोग और जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से सम्बन्धित किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।

(iii) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।

(iv) भारतीय द्वारा वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और किसी जैव संसाधन के जैव उपयोग के लिए अनुमोदनों या अन्यथा अनुरोधों को मंजूर करके विनियमित करना।

(v) राज्य जैव विविधता युक्ति और कार्य योजना को आदिनांकित करने और उसके क्रियान्वयन को सुकर बनाना।

(vi) अध्ययन कराना और अन्वेषण और अनुसंधान प्रायोजित करना।

(vii) बोर्ड को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्षो से अनधिक की किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए परामर्शदाता नियोजित करना :

परन्तु यदि किसी परमर्शदाता को तीन वर्ष की कालावधि से अधिक के लिए नियोजित करना आवश्यक और समीचीन हो तो बोर्ड ऐसे नियोजन के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(viii) जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सतत् उपयोग और जैव संसाधन और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से सम्बन्धित तकनीकी और सांख्यिकी डाटा, निर्देशिका, कोड या मार्गदर्शक सिद्धान्तों को संगृहीत, संकलित और प्रकाशित कराना।

(ix) जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सतत् उपयोग और जैव संसाधन और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के सम्बन्ध में जनसम्पर्क के माध्यम से समग्र कार्यक्रम आयोजित करना।

(x) जैव विविधता के संरक्षण और उसके अवयवों के सतत् उपयोग के लिए कार्यक्रमों में नियोजित या नियोजित किये जाने के लिए संभाव्य कार्मिकों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसे आयोजित करना।

(xi) डाटा बेस तैयार करने और जैव विविधता रजिस्टरों और इलेक्ट्रानिक डाटाबेस के माध्यम से जैव संसाधनों और सहयुक्त परम्परागत ज्ञान के लिए सूचना और प्रलेखीकरण प्रणाली तैयार करके प्रभावी प्रबन्ध, अभिवृद्धि और सतत् उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।

(xii) जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के क्रियाकलापों को समन्वित करना।

(xiii) बोर्ड के कार्यकरण और अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के क्रियान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना।

(xiv) समय-समय पर जैव संसाधनों की फीस की सिफारिश करना, विहित करना, उपांतरित करना, संगृहीत करना।

(xv) जैव संसाधनों पर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों सहित अधिकारों और लोगों के जैव विविधता रजिस्टरों में अभिलिखित जानकारी के संरक्षण को सम्मिलित करते हुए, यथा समुचित ऐसी जानकारी की गोपनीयता को बनाये रखने की प्रणालियों सहित सहयुक्त ज्ञान के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए रीतियां या प्रकल्पित करना।

(xvi) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जैव विविधता प्रबन्ध समिति को सहायता अनुदान और अनुदान मंजूर करना।

(xvii) अधिनियम के क्रियान्वयन से संसक्त किसी क्षेत्र के भौतिक निरीक्षण का जिम्मा लेना।

(xviii) जैव विविधता और जैव विविधता आश्रित जीविकाओं को योजना और प्रबन्धन के सभी क्षेत्रों में और स्थानीय से राज्य तक योजना के समस्त स्तरों पर एकीकृत करके ऐसे सेक्टरों और प्रशासनिक स्तरों के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिए प्रभावी रूप से योगदान देने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास करना;

(xix) राज्य और केन्द्रीय सरकार से अवमूल्यन के साथ उसकी स्वयं की प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना:

परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित बजट उपबंधों के अनुसार प्रचालित किया जाएगा।

(xx) बोर्ड को सभी प्राक्कलनों की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरियां स्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियां होंगी तथापि, वह, आवश्यक समझा जावे तो ऐसी प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी की शक्तियां बोर्ड के सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(xxi) बोर्ड द्वारा कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए राज्य सरकार को पदों के सृजन और ऐसे पदों की भर्ती की रीति की सिफारिश करना :

परन्तु ऐसा कोई पद चाहे स्थायी/अस्थायी या किसी अन्य प्रवृति का हो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जायेगा।

(xxii) ऐसे अन्य कृत्य करना जो अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों या जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।

(xxiii) जंगम या स्थावर दोनों सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन और उसके लिए संविदा करने की शक्ति होगी।

(xxiv) महत्वपूर्ण जैव संसाधनों जो राज्य के देशीय हैं, का पेटेंट करना।

16. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य –

(1) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के कार्य, दक्षतापूर्ण तौर पर और अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में चलाये जा रहे हैं।

(2) अध्यक्ष को बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द पर साधारण अधीक्षण की शक्तियां होंगी और अध्यक्ष बोर्ड के कार्यों के संचालन और प्रबन्ध के लिए आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा।

(3) अध्यक्ष बोर्ड की समस्त बैठकों को बुलायेगा और अध्यक्षता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिये गये समस्त विनिश्चयों का क्रियान्वयन उचित रीति से किया गया है।

(4) अध्यक्ष को समस्त प्राक्कलनों की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी देने की पूर्ण शक्तियां होंगी।

(5) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

17. बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें – बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेंगी। नियुक्तियां साधारणतया संविदा आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर होंगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न कर दिया जाये।

18. राज्य जैव विविधता निधि की संक्रिया–

(1) अधिनियम की धारा 32 (1) के अधीन राज्य जैव–विविधता निधि में प्राप्त समस्त राजस्व बोर्ड के पी.डी. खाते में जमा कराया जायेगा और इसे बोर्ड के विनिश्चय के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(2) राज्य जैव विविधता निधि बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उसकी मुहर और हस्ताक्षर से या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा प्रचलित की जायेगी जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

19. कतिपय प्रयोजनों के लिए जैव संसाधनों तक पहुँच/के संग्रहण की प्रक्रिया –

(1) वाणिज्यिक उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए जैव संसाधनों तक पहुँच/के संग्रहण के लिए बोर्ड की अनुज्ञा चाहने वाला कोई भी भारत का नागरिक या भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित निकाय, संगम या संगठन प्ररूप–1 में बोर्ड को आवेदन करेगा। प्रत्येक आवेदन के साथ बोर्ड के प्रधान कार्यालय पर राज्य जैव विविधता बोर्ड के पक्ष में

आहरित किसी चैक या मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में ऐसी फीस होगी जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा नियत और अधिसूचित की जाये।

(2) बोर्ड, आवेदन पर सम्यक् रूप से विचार करने और सम्बन्धित स्थानीय निकायों से परामर्श करने और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, संगृहीत कर लेने के पश्चात् जहां तक संभव हो आवेदन की प्राप्ति के तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा।

(3) आवेदन के गुणावगुण से समाधान हो जाने पर बोर्ड आवेदन को अनुज्ञात कर सकेगा या किसी भी ऐसे क्रियाकलाप को निर्बंधित कर सकेगा। यदि उसकी यह राय है कि ऐसा क्रियाकलाप जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के उद्देश्यों के लिए अहितकर या प्रतिकूल है।

(4) अनुज्ञा एक लिखित करार के रूप में होगी जिसमें अध्यक्ष या बोर्ड के सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा एक पक्ष के रूप में और आवेदक द्वारा दूसरे पक्ष के रूप में हस्ताक्षर किये जायेंगे। करार का प्ररूप बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और उसमें ऐसी शर्तें अन्तर्विष्ट होंगी जो देश की जैव विविधता के संरक्षण के लिए बोर्ड आवश्यक समझे।

(5) करार जैव संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विनिर्दिष्टतया अध्युपायों का उपबंध करेगा।

(6) बोर्ड को ठीक और पर्याप्त कारणों से किसी भी आवेदन को नामंजूर करने का पूर्ण अधिकार होगा किन्तु आवेदनों को नामंजूर करने से पूर्व वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देगा।

(7) पूर्व सूचना के लिए उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गयी किसी भी जानकारी को गोपनीय रखा जावेगा और किसी भी व्यक्ति को, जो इससे सम्बन्धित न हो, प्रकृट नहीं की जावेगी।

20. अनुज्ञा/पहुँच/अनुमोदन का प्रतिसंहरण –

(1) बोर्ड या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी शिकायत के आधार पर नीचे विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में मंजूर की गयी किसी भी अनुज्ञा का प्रत्याहरण या लिखित करार का प्रतिसंहरण कर सकेगा, अर्थात्-

(क) युक्तियुक्त आशंका के आधार पर कि वह व्यक्ति जिसे अनुज्ञा दी गयी थी, ने अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों या शर्तों, जिन पर अनुज्ञा दी गयी थी, का अतिक्रमण किया है या वह लिखित करार की किन्हीं भी शर्तों का या मंजूर की गयी पहुंच की किन्हीं भी शर्तों का पालन करने में विफल रहा है,

(ख) लोकहित में या पर्यावरण के संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए।

(2) प्रतिसंहरण आदेश, जो अपेक्षित हो, ऐसी जांचें करने के पश्चात् और इस प्रकार से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही किया जायेगा।

(3) बोर्ड जैव विविधता प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित व्यक्ति को जैव संसाधनों के उपयोग से प्रतिषिद्ध करने हेतु और नुकसान, यदि कोई हुआ हो, को निर्धारित करने और नुकसानी वसूलने के लिए ऐसे प्रत्याहरण या प्रतिसंहरण आदेश की एक प्रति संसूचित करेगा।

21. वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का वार्षिक विवरण –

(1) बोर्ड अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण और लेखाओं का वार्षिक विवरण देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) बोर्ड लेखाओं को रखने की प्रक्रिया को अधिकथित करेगा। बोर्ड के लेखाओं को बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित किया जायेगा। राज्य का महालेखाकार भी लेखाओं की संपरीक्षा कर सकेगा और इसके लिए फीस बोर्ड द्वारा संदेय होगी।

(3) बोर्ड प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक राज्य सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समेकित लेखाओं के संपरीक्षित विवरण के साथ (स्थानीय निकायों अर्थात् बी.एम.सी.एस. के लेखाओं को सम्मिलित करते हुए) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि राज्य सरकार को विधानसभा के समक्ष रिपोर्ट रखने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

22. जैव विविधता हैरिटेज स्थल की अधिसूचना और प्रबन्ध –

(1) बोर्ड, स्थानीय निकायों और अन्य मुख्य पणधारियों के परामर्श से, महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों के क्षेत्रों को हैरिटेज स्थलों के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा। बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार केन्द्र सरकार से परामर्श के पश्चात् इस आशय की अधिसूचना जारी कर सकेगी।

(2) बोर्ड, हैरिटेज स्थलों के चयन, प्रबन्ध और संरक्षण और अन्य पहलुओं पर मार्गदर्शक सिद्धान्त यह सुनिश्चित करते हुए विरचित करेगा कि ये सुसंगत जैव विविधता प्रबन्ध समिति के लिए विनिश्चय करने की भूमिका का उपबंध करें।

23. जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन –

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर एक जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन करेगा।

(2) यदि स्थानीय निकाय का यह समाधान हो जाता है कि जैव विविधता प्रबन्ध समिति के कृत्य

स्थानीय निकाय की साधारण सभा द्वारा या इसकी विद्यमान समितियों में से किसी एक द्वारा निर्वहित किये जा सकते हैं, तो सम्यक् प्रक्रिया अपनाते हुए उसे ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा पारित संकल्प के रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(3) उप-नियम (1) के अधीन गठित जैव विविधता प्रबन्ध समिति में स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट सात व्यक्ति होंगे जिनमें से एक तिहाई से अन्यून महिलाएं होंगी। इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट स्थानीय जानकारी रखने वाले सात व्यक्तियों को जड़ी बूटी विशेषज्ञों, कृषकों, वनपालों, गैर-काष्ठ वन उत्पाद संग्रहकों/व्यापारियों, धीवर-जन, उपयोक्ता संगमों के प्रतिनिधियों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और संगठन के किसी भी व्यक्ति/प्रतिनिधि में से लिया जायेगा जिस पर स्थानीय निकाय को विश्वास है कि वह जैव विविधता प्रबन्ध समिति को महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सदस्यों का अनुपात उस जिले की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत से अन्यून नहीं होना चाहिए जहां पर ऐसी कोई समिति स्थापित है। नामनिर्दिष्ट समस्त सदस्य स्थानीय निकाय के क्षेत्र के निवासी होने चाहिए और ऐसे स्थानीय निकाय के मतदाता होने चाहिए।

(4) स्थानीय निकाय वन, कृषि, पशुधन, स्वास्थ्य, मत्स्य और शिक्षा विभाग में से छह विशेष आमंत्रितियों को नाम निर्देशित करेगा।

(5) जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष को स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली किसी बैठक में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा। बराबर मत होने की दशा में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(6) जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(7) विधानसभा के स्थानीय सदस्य और संसद सदस्य विभिन्न स्तरों पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति की बैठकों के लिए विशेष आमंत्रिती होंगे।

(8) जिला प्रशासन द्वारा सरकारी अभिकरणों, गैर-सरकारी संगठन, शैक्षिक क्षेत्र, समुदाय और व्यष्टियों में से लिये गये जैव विविधता के क्षेत्र में विशेषज्ञों को समाविष्ट करते हुए एक तकनीकी सहायता समूह स्थापित किया जायेगा। विशेषज्ञ समूह जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को विभिन्न स्तरों पर सहायता देगा।

(9) जैव विविधता प्रबन्ध समिति का मूल आदेश जैव विविधता के संरक्षण, उसके सतत् उपयोग और इसके फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने को सुनिश्चित करना होगा। जैव विविधता प्रबन्ध समिति जनता के जैव विविधता रजिस्टरों की तैयारी को सुकर बनाएगी। रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता और जानकारी, उनके चिकित्सीय या किसी भी अन्य उपयोग या उससे सहयुक्त किसी भी अन्य परम्परागत जानकारी की व्यापक सूचना अंतर्विष्ट होगी। जिला परिषद जैव विविधता प्रबन्ध समिति जिला स्तर पर जनता के जैव विविधता रजिस्टरों का डाटाबेस नेटवर्क विकसित करने के लिए उत्तरदायी होगी। जनता के जैव विविधता रजिस्टरों को बोर्ड द्वारा निर्धारित

प्रक्रिया और फारमेट का उपयोग करके ग्राम पंचायत / नगरपालिका / नगर परिषद् / नगर निगम जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्तर पर तैयार किया जायेगा। जैव विविधता प्रबन्ध समिति और स्थानीय निकाय जनता के जैव विविधता रजिस्टरों में अभिलिखित जानकारी की संरक्षा को सुनिश्चित करने, विशेष रूप से बाहरी अभिकरणों और व्यष्टियों तक इसकी पहुँच को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(10) जिला परिषद् और पंचायत समिति जैव विविधता प्रबन्ध समितियां स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण समुत्थानों को विकास योजना की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे।

(11) बोर्ड जनता के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए जैव विविधता प्रबन्ध समिति को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे रजिस्टर में अभिलिखित समस्त सूचना को बाहरी अभिकरणों और व्यष्टियों द्वारा दुरुपयोग और विनियोग के विरुद्ध विधिक संरक्षण प्राप्त है।

(12) समिति, जैव संसाधनों तक पहुंच और दी गयी परम्परागत जानकारी के ब्योरों, अधिरोपित संग्रहण फीस के ब्योरों और व्युत्पन्न फायदों और उनके बंटाने की रीति के ब्योरों के बारे में सूचना देने वाले एक रजिस्टर का भी संधारण करेगी।

(13) जैव विविधता प्रबन्ध समिति ग्राम पंचायत/नगर–पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम स्तर पर उन निबंधनों का विनिश्चय कर सकेगी जिन पर वह उनकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न–भिन्न पक्षकारों को जैव विविधता संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी अनुज्ञात करेगी और अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी भी जैव संसाधन तक पहुंच या संग्रहण करने के लिए किसी भी व्यक्ति से फीस संग्रहण के माध्यम से प्रभारों का उद्ग्रहण कर सकेगी। निजी भूमि से संगृहीत/कृष्ट सामग्री के लिए प्रभारित उद्ग्रहण का मुख्य हिस्सा भूमि के स्वामी/कृषक/जानकारी रखने वाले/वालों को दिया जाना चाहिए और अतिशेष को जैव विविधता प्रबन्ध समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा करवाया जाना चाहिए। सरकारी भूमि से संगृहीत/कृष्ट सामग्री के लिए प्रभारित उद्ग्रहण को पूर्णत: जैव विविधता प्रबन्ध समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा करवाया जाना चाहिए।

(14) बोर्ड जैव विविधता प्रबन्ध समितियों द्वारा पहुँच के निबंधन और फीस संग्रहण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उपबंध करेगा।

(15) ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम स्तरीय जैव विविधता प्रबन्ध समितियां जनता के जैव विविधता रजिस्टर से परिमाण का उपयोग करके एक जैव विविधता प्रबन्ध योजना तैयार करेगी और इसके क्रियान्वयन के लिए या इसमें भाग लेने के लिए उत्तरदायी होंगी।

(16) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि जैव विविधता प्रबन्ध समितियां प्रति सदस्यता, समन्वय बैठकों और स्थानीय निकायों द्वारा यथा-अवधारित या बोर्ड द्वारा यथा, विनिर्दिष्ट अन्य ऐसे अध्युपाय द्वारा विद्यमान स्थानीय संस्थानों के कृत्यकरण से एकीकृत है।

(17) जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अन्य कृत्य राज्य जैव विविधता बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा इसे निर्दिष्ट अनुमोदन मंजूर करने के किसी भी मामले पर सलाह देना, जैव संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों और चिकित्सा व्यवसायियों के बारे में डाटा का संधारण करना है।

24. स्थानीय जैव विविधता निधि –

(1) स्थानीय निकाय के स्तर पर स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन किया जायेगा। बोर्ड राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से या अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण से उसे प्राप्त कोई भी उधार या अनुदान स्थानीय निकाय को उपलब्ध करवाएगी। स्थानीय निकाय अन्य स्रोतों से भी ऐसी निधि को भी सुलभ कर सकेगा जिनकी वह पहचान करे या जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(2) स्थानीय जैव विविधता निधि को अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में सर्वथा उपयोग में लाया जायेगा जो यह कथन करता है कि निधि का उपयोग सम्बन्धित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए और सामुदायिक फायदे के लिए जहां तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत है, किया जायेगा।

(3) निधि को जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक में जमा करवाया जायेगा और इसे समिति के अध्यक्ष द्वारा अपनी मुहर और हस्ताक्षर से या जैव विविधता प्रबन्ध समिति के किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, चलाया जावेगा।

25. जैव विविधता प्रबन्ध समिति की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण –

(1) जैव विविधता प्रबन्ध समिति अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी। वार्षिक रिपोर्ट में सदैव अन्तर्विष्ट होगा-

(क) समिति का नाम,

(ख) वह कालावधि जिससे रिपोर्ट सम्बन्धित है,

(ग) उस कालावधि के लिए पदधारी,

(घ) वर्ष के लिए कार्यवाही के कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण,

(ङ) वर्ष के दौरान सम्पादित क्रियाकलापों पर विस्तृत रिपोर्ट, समिति की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त लेखा।

(2) जैव विविधता प्रबन्ध समिति लेखाओं के संपरीक्षित विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट राज्य जैव विविधता बोर्ड को प्रस्तुत करेगी और स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष 30 जून तक स्थानीय निकाय के क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।

(3) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखाओं को स्थानीय निधि संपरीक्षा के परीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया जायेगा। प्रमुख महालेखाकार (सिविल संपरीक्षा) राजस्थान को अपने विवेक से इस निधि की संपरीक्षा करने का अधिकार है।

(4) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखाओं को ऐसी रीति से संधारित किया जायेगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

26. विवादों का निपटारा – बोर्ड, बोर्ड और जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के मध्य और जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के बीच और जैव विविधता प्रबन्ध समितियों और सुसंगत स्थानीय निकायों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगा।

प्ररूप 1

(नियम 19 देखिए)

जैव संसाधनों और सहयुक्त परम्परागत ज्ञान तक पहुँच/के संग्रहण के लिए आवेदन प्ररूप

भाग क

1. आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां :

   (क) नाम...

   (ख) स्थायी पता : ....
   ....

   (ग) भारत में मध्यस्थ/अभिकर्ता, यदि कोई भी हो, का पता

   (घ) संगठन की रूपरेखा (यदि आवेदक व्यष्टि हो तो निजी प्रोफाइल)

   (कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करे ।)

   (ङ) कारबार की प्रकृति :

   (च) भारतीय रुपये में संगठन का पण्यावर्त:

2. चाही गयी पहुंच की प्रकृति और पहुंच किये जाने के लिए जैव सामग्री और/या सहयुक्त ज्ञान के बारे में ब्यौरा और विनिर्दिष्ट जानकारी:–

   (क) जैव संसाधन की पहचान (वैज्ञानिक नाम) और इसका परम्परागत उपयोग;

   (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक अवस्थिति (ग्राम, तहसील और जिला सहित);

   (ग) परम्परागत ज्ञान का विवरण/प्रकृति और इसकी विद्यमान अभिव्यक्तियां और उपयोग (मौखिक/दस्तावेजी);

   (घ) परम्परागत ज्ञान रखने वाला कोई भी पहचाना गया व्यक्ति/कुटुम्ब/समुदाय;

   (ङ) जैव संसाधनों की मात्रा जिसे संग्रहीत किया जाना प्रस्तावित है;

   (च) समय सीमा जिसमें जैव संसाधनों को संग्रहीत किया जाना प्रस्तावित है;

   (छ) संग्रहण करने के लिए कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और उनकी संख्या;

   (ज) अनुसंधान, व्युत्पन्न किये जाने वाले और इसमें व्युत्पन्न किये जाने के लिए आशायित वाणिज्यिक उपयोग का प्रकार और सीमा सहित प्रयोजन जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है;

   (झ) क्या संसाधन का कोई संग्रहण या उपयोग जैव विविधता के किसी भी घटक पर संकटापन्न पैदा करते हैं और पहुंच से कोई जोखिम जो हो सकते हैं ।

3. फायदों का प्राक्कलन जो पहुंच किये गये जैव संसाधनों और परम्परागत ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न हो समुदायों को प्रवाहित होंगे ।

4. फायदा बांटने के लिए प्रस्तावित संक्रिया और इंतजाम ।

5. कोई भी अन्य सूचना ।

भाग ख

घोषणा

मैं/हम, यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि–

- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण और उपयोग संसाधनों की सतता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण और उपयोग कोई भी पर्यावरणीय प्रभाव नहीं डालेगा;
- प्रस्तावित जैव साधनों का संग्रहण और उपयोग पारिस्थितिक तंत्र स्पेसीज और आनुवांशिकी विविधता सहित जैव विविधता को कोई भी जोखिम कारित नहीं करेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों का संग्रहण और उपयोग स्थानीय समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा;

मैं/हम, कोई भी फीस और/या रायल्टी जो बोर्ड या बी.एम .सी. द्वारा उद्गृहीत की जाये, या संदाय करने का वचन देता हूं/देते हैं। मैं/हम कोई भी अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाये, भी देने का वचन देता हूं/देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन प्ररूप में उपलब्ध करायी गयी जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम किसी भी असत्य/गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

स्थान......

दिनांक....

(संख्या प.4(8) वन/2005 पार्ट)
राज्यपाल के आदेश से
बी.एल. आर्य,
प्रमुख शासन सचिव